

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.05.2021

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केसरीनन्दन पुत्र स्व0माईदीन निवासी झौहना डीहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—79 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राहुल सिंह पुत्र शिवसरन सिंह निवासी नयपुरवा जिगनिया थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—168 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राका पुत्र नक्छेद निवासी मेवतियान थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—399 / 21, 02. बच्चाराम पुत्र प्यारे निवासी शुकुलपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—400 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मदन वर्मा पुत्र राघवराम वर्मा निरो महादेवा कला थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—145 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2021

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0सं0—141/21, धारा 147,148,323,504,506,336,304,188 भादवि व 51बी आपदा प्रबन्धन अधिरो से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों— मो0 इमरान उर्फ गुड्डू व अब्दुल गफूर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी मो0 चांद पुत्र अब्दुल कलाम निरो खजुरिहवा कस्बा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के भाई को आपसी विवाद के चलते लाठी—डण्डा ईट पत्थर से मारा—पीटा था। जिससे वादी के भाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. मो0 इमरान उर्फ गुड्डू पुत्र रियाज अहमद निरो खजुरिहवा कस्बा मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. अब्दुल गफूर पुत्र रियाज अहमद निरो खजुरिहवा कस्बा मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—141/21, धारा 147,148,323,504,506,336,304,188 भादवि व 51बी आपदा प्रबन्धन अधिरो थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0निरो विसुन देव पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.05.2021

छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0—197/21, धारा 354 क, 504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त—चांद बाबू को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चांद बाबू पुत्र रशीद अहमद निर्देश सकरौरा पश्चिमी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—197/21, धारा 354 क, 504,506 भादवि भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उनिनी 0 सहदेव दुबे मय टीम।